8 A A G
12/2/2015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No................ of 2015

Aarti Devi ....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others ....Respondents

Subject- Validity of Act.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	An application under article 226 of the Constitution of India with affidavit.	1-12
2.	**Annexure–1** - A true photo/type copy of the Angan Bari Sevika / Sahayika Guidelines 2011.	13-25
3.	**Annexure–2**– A true photo/type copy of the affidavit dated 15.11.14.	26
4.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No................ of 2015

Aarti Devi ....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others ....Respondents

SYNOPSIS

Relief :- For issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/ direction(s) to declare Kandika/Sub Kandika 4 (9) of Selection of Anganbari Sevika/Sahaiyka Guidelines 2011 regarding eligibility criteria which reads as follows "[4.9 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूष कर्मचारी/ पदाधिकारी की पत्नी/बहू/अअन्य रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है-माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री)

भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन)। तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद] सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी]" (Annexure-1) to be ultravires as the same infrings the fundamental rights of petitioner guaranteed under Article 14, 16 and 21 of the Constitution of India and further to direct the respondents to modify/amend the relevant provision of the guidelines, so that the fundamental right of right to livelihood of petitioner may not be infringed and she may not be discriminated from other candidates in the selection of Angan Bari Sevika in Angan Bari Kendra No. 85 under Gamharia Block of District - Madhepura and may pass other order/ orders

for which petitioner is entitled to in the facts and circumstances of the case.

DATE AND EVENTS

04.11.2011	:	ICDS directorate under Social Welfare Department, Govt. of Bihar issued guidelines 2011 for selection of Angan Bari Sevika/Sahayika.
	:	Kandica 4(9) of the said guidelines debars the other family members from appointment on the post of Sevika because of the employment of other family members of same family in Govt. Service.
	:	Kandica 4(9) of the Guidelines infrings the fundamental rights of citizen from getting equal opportunity in of public employment hence ought to have declared ultravire.

26.06.13	:	Petitioner submitted her application for appointment on the post of Sevika at Angan Bari Kendra No. 85 under Gamharia Block of District Madhepura and is top in the merit list.
15.11.2014	:	Petitioner filed affidavit stating that she living separately for last ten years from elder brother of her husband who is in Govt. Job.
	:	Since due to incorporation of unconstitutional Kandica 4 (9) in the guidelines the petitioner is not eligible for appointment on the post of Sevika even after fulfilling all other criteria.

Hence, this writ petition to get justice from this Hon'ble Court.

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2675

भारत STAMP DUTY बिहार
Rs. 0000285
375459 BIHAR
INDIA ··Zero·Zero·Zero·Zero·Two··EightFive···
2112 5826844

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No................ of 2015

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of :-

Aarti Devi, W/o Avinash Kumar, Resident of Village - Tarawe, Ward No. 3, P.S. - Gamharia, District - Madhepura.

.............Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Principal Secretary, Social Welfare Department, Govt. of Bihar, Patna.

3. The Director, I.C.D.S., Directorate under Social Welfare Department, Govt. of Bihar, Patna.
4. The Divisional Commissioner, Koshi Pramandal, Saharsa.
5. The District Magistrate, Madhepura.
6. The District Programme Officer, Madhepura.
7. The Child Development Project Office,r Gamharia, District - Madhepura.
8. The Chairman, Anganbari Sevika Selection Committee, Angan Bari Kendra No. 85, Gram Panchayat Kaurihar-Tarawe, Block - Gamharia, District - Madhepura.

...........Respondents

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this writ application is being filed for issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/ direction(s) to declare Kandika/Sub Kandika 4 (9) of Selection of Anganbari Sevika/Sahaiyka Guidelines 2011 regarding eligibility criteria which reads as follows "[4.9 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूष कर्मचारी/ पदाधिकारी की पत्नी/बहू/अअन्य रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है-माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन)। तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी,

बहु, पुत्री और ननद] सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी]" (Annexure-1) to be ultravires as the same infrings the fundamental rights of petitioner guaranteed under Article 14, 16 and 21 of the Constitution of India and further to direct the respondents to modify/amend the relevant provision of the guidelines, so that the fundamental right of right to livelihood of petitioner may not be infringed and she may not be discriminated from other candidates in the selection of Angan Bari Sevika in Angan Bari Kendra No. 85 under Gamharia Block of District - Madhepura and may pass other order/ orders for which petitioner is entitled to in the facts and circumstances of the case.

2. That the following substantial questions of law are involve in this writ application :

(i) Whether the respondent state can infringe the fundamental right of right to livelihood of

petitioner by bringing the enactment which is invalid and unconstitutional ?

(ii) Whether the respondent authorities in respect of employment under the state can bring enactment which debars the particular citizen from getting equality of opportunity in matter of public employment ?

(iii) Whether the eligibility criteria enshrined in Kandika 4 (9) of selection of Angan Bari Sevika /Sahaiyka guidelines 2011, holding the petitioner not eligible for selection on the post of Sevika only because she is relative of a person who is in Govt. Service though living separately for many years is not infringement of her fundamental right.

(iv) Whether the provision of the guidelines under challenge being unconstitutional and infringement of fundamental rights guaranteed

under the constitution of India is fit to be declared as ultravires by this Hon'ble Court ?

3. That the petitioner is citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That Integrated Child Development Scheme in short ICDS directorate under Social Welfare Department Govt. of Bihar vide Memo No. ICDS/30010/1-2011/2862 dated 04.11.11 issued Angan Bari Sevika/Sahayika Guidelines 2011 for the selection of Angan Bari Sevika/Sahayika at Angan Bari Kendra situated in different Gram Panchayats in the State of Bihar.

A true photo/type copy of the Angan Bari Sevika / Sahayika Guidelines 2011 is annexed herewith and marked as Annexure – 1 to this writ petition.

5. That Kandika 4 sub Kandika 9 i.e. Kandika 4 (9) of the aforesaid guidelines reads as follows :

"[4.9 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूज़ कर्मचारी/ पदाधिकारी की पत्नी/बहू/अअन्य रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है-माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन)। तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद] सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी]"

6. That it is submitted that the aforesaid provision of the guideline is unconstitutional as the same infrings the fundamental rights of equality of opportunity in matters of public employment as well as the right of livelihood of other family members in the appointment

on the post of Sevika only because of the employment of other family members of same family in Govt. Service.

7. That it is stated that the petitioner who is member of Schedule Caste and belongs to B.P.L. category on 26.06.13 submitted her application for the post of Sevika at Angan Bari Kendra No. 85 in Korihari Talab Gram Panchayat under Gamharia Block of District Madhepura.

8. That altogether five applicants including the petitioner submitted their application for the post of Sevika at concerned centre and out of them the position of petitioner was at the top in the merit list so prepared in the Aam Sabha.

9. That it is relevant to state here that the husband of petitioner is labour class persons and living separately from his elder brother namely Raj Narayan Paswan, who is teacher in Govt. School and in this regard an affidavit has also been filed by the petitioner before

the selection committee, of sevika at the concerned center.

A true photo/type copy of the affidavit dated 15.11.14 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

10. That it is submitted that through the partitioner has been living separately from the family of the elder brother of her husband who is in Govt. Service for last ten years however due to incorporating Kandika 4(9) in the Guidelines 2011 she becomes ineligible to be selected on the post of Sevika at the concerned centre.

11. That thus clearly Kandica 4 (9) of the selection of Sevika/Sahaiyika Guidelines 2011 infrings the fundamental right of petitioner of her employment on the post of Sevika inspite of having top position in the merit list for no fault on her part.

12. That it is submitted that Kandika 4 (9) also debars the petitioner and other similarly situated citizens of their fundamental right of right to livelihood as enshrined in Article 21 of the Constitution of India and hence the same ought to have been declared ultravires in the interest of justice by the Hon'ble Court.

13. That thus in the aforesaid facts and circumstances of the case the interference of this Hon'ble Court is extremely warranted to grant the reliefs as prayed for in this writ application.

14. That the petitioner got no alternative and efficacious remedy than to move before this Hon'ble Court for the reliefs as prayed for in this writ application.

15. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the reliefs as prayed for in this writ application.

10

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to

admit this application issue notice to the respondents to show cause as to why the reliefs as prayed for in para-1 of this writ application be not ground to the petitioner and in course being shown if any and after hearing the parties be further pleased to allow this writ application and make the rule absolute against the respondents.

And/Or

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Aarti Devi, aged about 27 years, W/o Avinash Kumar, Resident of Village - Tarawe, Ward No. 3, P.S. - Gamharia, District – Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner of the writ application and as such I am full aware of the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been explained to me in Hindi which, I find true to the best of my knowledge and belief.
3. That the statements made in paragraph nos. 3,7,8,9,15,16 are truer to my knowledge and those made in para nos. 4, 5 are true to my information derived from the records of the case and rest by way of submission..
4. That the annexures attached are true photo copies of their respective originals.

Annexure-1 (13)

आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011

(ज्ञापांक 423, 1001, 1528 (2012), 2354 एवं 2897 (2013) द्वारा संशोधित)

[ज्ञापांक सं॰ ICDS/30010/1-2011/2862, dated 4.11.2011]

समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011

1. उद्देश्य.–वर्ष 2006 में समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की गयी थी। उसके अनुपालन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण एवं कुछ विन्दुओं को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में पूर्व की मार्गदर्शिका को संशोधित किया गया।

सेविका/सहायिका की चयन की प्रक्रिया में जटिलता, सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में आ रही बाधा, सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में हो रहे विलम्ब तथा विभिन्न जिलों से सेविका/सहायिका चयन के संबंध में मांगे जा रहे मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चयन की प्रक्रिया को सहज, सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका को रद्द करते हुए इस मार्गदर्शिका को निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। इसके प्रभावकारी होते ही इसके प्रावधानों के अनुसार चयन संबंधी कार्य किये जायेंगे। इससे हुए किसी विचलन को सरकार गंभीरतापूर्वक लेंगी तथा इसके जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

2. परिभाषाएं.–इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"वार्ड की आम सभा"** से अभिप्रेत है वार्ड में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी व्यस्क सदस्यों की आम सभा।

(ख) **"प्रधान सचिव"** से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव।

(ग) **"आँगनबाड़ी केन्द्र"** से अभिप्रेत है आई॰सी॰डी॰एस॰ अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।

(घ) **"आँगनबाड़ी सेविका"** से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।

(ङ) **"आँगनबाड़ी सहायिका"** से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सहायिका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।

(च) **"निदेशक"** से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ निदेशालय के निदेशक।

(छ) **"मुखिया"** से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के

उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया।

(ज) **"बाल विकास परियोजना पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित समेकित बाल विकास परियोजना के भारसाधक पदाधिकारी।

(झ) **"लाभार्थी"** से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के तहत अधिसूचित बाल विकास परियोजना के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहनेवाले लोग।

(ञ) **"कोरम"** (Quorum) से अभिप्रेत है:-

(i) लाभुकों के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के 20% लाभुकों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के सदस्यों में से दो तिहाई की उपस्थिति।

[1][(ट) **"बाहुल्य वर्ग"** से अभिप्रेत है आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु० जनजाति, अनु० जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।]

3. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु समिति.–आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-

(i)	संबंधित वार्ड सदस्य (ग्रामीण क्षेत्र) नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम के वार्ड आयुक्त (शहरी क्षेत्र) (यदि पोषक क्षेत्र में दो वार्ड समाहित हो तो पोषक क्षेत्र के बहुलता वाले वार्ड सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष रहेंगे।)	–अध्यक्ष
(ii)	संबंधित वार्ड के पंच (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)	–उपाध्यक्ष
(iii)	संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	–सदस्य सचिव
(iv)	अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति का एक सदस्य, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए (लाभान्वितों में से वार्ड की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत)	– सदस्य
(v)	एक महिला सदस्य (लाभान्वितों की वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत)	– सदस्य
(vi)	संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु० जाति/अनु० जनजाति के एक अधिकारी	– सदस्य

टिप्पणी.–1. शहरी क्षेत्रों के लिए यह समिति पाँच सदस्यों की होगीं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वार्ड के पंच (सदस्य नं०-2) नहीं होते।

---

1. ज्ञापांक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा अन्त: स्थापित।

2. चयन हेतु चयन समिति में वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में वार्ड के पंच आम सभा की अध्यक्षता करेंगे (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड की आम सभा के सदस्यों द्वारा आम सभा के दिन उनके द्वारा चयनित कार्यकारी अध्यक्ष के तत्त्वाधान में आम सभा संपन्न होगी।

3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक चयन के लिए वार्ड की आम सभा के बैठक की लिखित सूचना सात दिन पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को देंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड के रूप में कार्यालय में संधारित करेंगे। साथ ही आम सभा की सूचना संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद् तथा नगर निगम के कार्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर 7 दिन पूर्व चिपकायी जायेगी।

4. आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता.–4.1. शैक्षणिक योग्यता: सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।

[1][4.2 चयन प्रक्रिया में बाहूल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अहर्त्ताएं पूरी करती हों। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहूल्य वर्ग में से सभी अहर्त्ताए प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा:-

1. अनु॰ जनजाति
2. अनु॰ जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

(**व्याख्या**-अगर किसी पिछड़ा वर्ग बाहूल्य पोषक क्षेत्र में एक भी पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सभी अर्हत्ताए प्राप्त नही है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 1. 'अनु॰ जनजाति' वर्ग के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। पुनः अगर अनु॰ जनजाति में भी ऐसा कोई उम्मीदवार नही मिलता है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 2. अनु॰ जाति के अर्हत्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। यह प्रक्रिया इसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग तक आवश्यकतानुसार अपनाई जाती रहेगी जब तक अहर्त्ता प्राप्त उम्मीदवार नही मिल जाता)]

4.3 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4.4 सेविका पद की रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष की प्रथम जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

4.5 सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।

1. ज्ञापांक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।

4.6 आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

4.7 आँगनबाड़ी सेविका उस गाँव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

[1][4.8 संबंधित जिले के पुरूष जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहू/अन्य रिश्तेदार इस पद के लिये आयोग्य होगी।

[रिश्तेदार से अर्थ है--माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु और ननद]।

जन प्रतिनिधि (पुरूष एवं महिला के मामले में) पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।

[2][4.8 (A) जनप्रतिनिधि (जैसे-मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य पंचायत समिति, पंच, सरपंच, प्रमुख, उपप्रमुख वार्ड कमिश्नर इत्यादि) सेविका/सहायिका पद के लिए अयोग्य होगी।

[3][4.8 (B) अभ्यर्थी के संबंधी अथवा स्वयं अभ्यर्थी का जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। इसके पश्चात ही चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत त्याग पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मेधा सूची पैनल से दूसरे नम्बर के अभ्यर्थी का चयन किया जाए।

[1][4.9 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूष कर्मचारी/पदाधिकारी की पत्नी/बहू/अन्य रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है-माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन)। तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद] सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।

संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू० 6000/- (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके ऊपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।

[1][4.10 संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के पुरूष विक्रेताओं (जैसे-जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। [रिश्तेदार से अर्थ है-भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन] तथा इसके साथ महिला विक्रेताओं (जैसे-जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) के मामले में पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहू, पुत्री और ननद सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।

4.11 विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक

---

1. ज्ञापांक 6989, दिनांक 19.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ज्ञापांक 1528, दिनांक 27.4.2012 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. ज्ञापांक 2897, दिनांक 10.6.2013 द्वारा अन्तःस्थापित।

होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केन्द्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।

4.12 सेविका/सहायिका पदों के लिये आयोग्यताएं:

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

(ii) किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगी।

(iii) सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास-बहु/ननद-भाभी/देवरानी-जेठानी/माँ-बेटी/बहन-बहन/ बहन-भतीजी/सगी-गोतनी आदि।

(iv) विभिन्न अनुशासनिक/जाँच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।

[1][टिप्पणी.–आशा कार्यकर्त्ता सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हैं अत: आशा कार्यकर्त्ता का चयन सेविका/सहायिका पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ-पत्र में त्याग-पत्र उपलब्ध करायेगी।

[2][(v) ऐसी महिलाएं जो पहले से किसी सरकारी/अर्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, वे सेविका/सहायिका के पद पर चयन के लिए अयोग्य होंगे।

[1][(vi) ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्त्ता है। ये सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अत: इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा।

5. सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण.–5.1 मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।

[3][5.2. इन्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जायेंगे तथा स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेंगे।

[4][5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेगें।

(क) विधवा/परित्यकता - 7 अंक

---

1. ज्ञापांक 2897, दिनांक 10.6.2013 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. ज्ञापांक 1528, दिनांक 27.4.2012 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. प्रतिस्थापित तत्रैव।
4. ज्ञापांक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) विकलांग - 5 अंक

(ग) सहायिका - 5 अंक]

5.4 उम्मीदवारों की एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इसके बाद कंडिका 5.2 और 5.3 के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक में जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र 'ग' में तैयार की जाएगी एवं उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। (मेधा सूची का विहित प्रपत्र **अनुलग्नक 'ग'** संलग्न)

[1][5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:-

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. सहायिका

टिप्पणी-विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यकता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।]

6. सहायिका के चयन हेतु अर्हता.–6.1 सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी।

6.2 अन्य सभी योग्यताएँ कंडिका 4.3 से 4.12 के समरूप होंगी।

7. सहायिका के लिए मेधा निर्धारण.–[2][7.1 आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जायेगा। अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में सभी अर्हता प्राप्त कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सहायिका का चयन किया जायेगा-

(1) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

(2) पिछड़ा वर्ग

(3) अल्पसंख्यक

(4) बाहुल्य वर्ग

---

1. ज्ञापांक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ज्ञापांक 1001, दिनांक 20.3.12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) सामान्य वर्ग

किसी भी वर्ग में एक से अधिक उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में चयन की प्रक्रिया कंडिका 7.2 के समरूप होगी।

7.2 अनुसूचित जाति/जनजाति की एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर निम्न रूप से मेधा निर्धारण किया जायेगा:-

(i) सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन किया जाएगा।

(ii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा कोई भी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास न हो तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी.–कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू होंगी।

(iii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि), योग्यताएँ हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी.–कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू रहेंगी।

7.3 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपतियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

8. सेविका/सहायिका के लिए चयन की प्रक्रिया.–8.1 किसी भी बाल विकास परियोजना में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्ति होने पर उसकी सूचना रिक्ति होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित रिक्तियों को भरने के लिये राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में (यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा आदि) सात दिनों के अंदर विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु भेजेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय/नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चिपकायेगें। इसकी एक प्रति आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ निदेशालय को भी भेजी जायेगी।

8.2 विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एवं प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि आँगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।

8.3 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कंडिका-5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र **अनुलग्नक 'ग'** में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वयं कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन निर्गत प्राधिकार से चयन के बाद कराया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत ही सेविका/सहायिका को मानदेय दिया जायेगा।

8.4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित आवेदकों को वार्ड की आम सभा की बैठक की सूचना की तिथि से अवगत कराना अनिवार्य होगा तथा सभी आवेदकों को निर्धारित वार्ड की आम सभा की तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

8.5 वार्ड की आम सभा की बैठक में अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित नहीं रहने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

8.6 आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि एक पंजी में की जायेगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कंडिका 5 या 7 के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्रविष्टि पंजी तथा तैयार किये जाने वाली मेधा सूची में इसे तैयार करने वाले सभी कर्मी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सुस्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। मेधा सूची आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन दिनों के अंदर तैयार करना सुनिश्चित किया जायेगा। मेधा सूची को आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित कराया जाएगा तथा सभी उम्मीदवारों को इसकी प्रति निर्बंधित डाक/विशेष दूत से भेजी जाएगी।

8.7 मेधा सूची की एक प्रति निदेशालय एवं एक प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मेधा सूची तैयार होने के पश्चात बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त से विमर्श कर वार्ड की आम सभा की तिथि/समय निर्धारित कर इसकी सूचना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा लाभुकों को देगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सात दिनों के अंदर वार्ड की आम सभा की तिथि की सूचना आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में इस प्रकार लगायी जायेगी कि कम-से-कम सात दिन एवं अधिकतम 14 दिन का समय उसके प्रचार-प्रसार के लिए मिले।

8.8 मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट, सार्वजनिक स्थल, आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा तथा सेविका/सहायिका चयन हेतु आयोजित वार्ड की आम सभा के दिन मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी आम सभा के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होगा।

नोटः- मैपिंग पंजी के संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश निकालने तक मार्गदर्शिका, 2010 तथा इसके अलावा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश यथावत् रहेगें।

8.9 लाभान्वितों के बीच वार्ड की आम सभा की तिथि/समय के प्रचार-प्रसार की जबावदेही महिला पर्यवेक्षक, वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त की होगी।

8.10 वार्ड की आम सभा की तिथि एवं समय के संबंध में विधिवत सूचना वार्ड आयुक्त/वार्ड सदस्य/पंच को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। बैठक की विधिवत सूचना ग्रामीण परियोजना के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, शहरी परियोजना के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, प्रस्तावित आँगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में चिपका दी जायेगी, तथा संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्रों के लाभुकों के बीच डुगडुगी पिटवाकर/लाउडस्पीकर के द्वारा प्रसारित की जायेगी।

8.11 सेविका/सहायिका के चयन हेतु वार्ड की आम सभा की बैठक उसी टोला/गाँव/मोहल्ला के सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी, जिस टोला/गाँव/मोहल्ला में आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आम सभा किसी व्यक्ति विशेष के घर/आंगन में आयोजित नहीं की जायेगी।

8.12 सेविका/सहायिका के चयन के लिए आयोजित वार्ड की आम सभा में केवल इस योजना के लाभुक परिवार के वयस्क सदस्य जिनके परिवार के मुखिया का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज हो (महिला एवं पुरुष) भाग लेंगे। आम सभा की कारवाई के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस वार्ड की आबादी तथा वांछित कोरम (Quorum) की जानकारी उपस्थित लोगों को कराई जाएगी।

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रपत्र में संधारित की जायेगी:-

क्रम सं॰	उपस्थित सदस्यों का नाम	पिता/पति	गाँव/टोला का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणिकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बैठक में संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के न्यूनतम 20% के बराबर लाभुकों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा चयन समिति के 2/3 या उससे अधिक (4 या उससे अधिक) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक में उपरोक्त कोरम पूरा नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देंगे तथा इन सभी तथ्यों को वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में सुस्पष्ट ढंग से उल्लिखित करेंगे। स्थगित बैठक के बाद की बैठक के लिए लाभुकों का 10% तथा चयन समिति का 1/2 (3 या उससे अधिक सदस्य) कोरम अपेक्षित होगा। स्थगन के पश्चात दूसरी आम सभा की बैठक की सूचना का भी विस्तृत प्रचार-प्रसार उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार किया जाएगा।

8.13 वार्ड की आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदिकाओं के आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताऐं एवं मेधा सूची के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। सभी अर्हताओं को पूर्ण करने वाली तथा मेधा सूची में सर्वोच्च अंक/स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वार्ड की आम सभा की बैठक की कार्यवाही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। बैठक की कार्यवाही में चयन समिति के सभी सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित लाभुकों के परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा दूसरी प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय में रखी जाएगी।

8.14 उपर्युक्त तरीके से बुलाई गई बैठक में वार्ड की आम सभा द्वारा मेधा सूची के अनुसार तीन अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। इस पैनल से सर्वोच्च अंक/स्थान प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी के चयन की घोषणा वार्ड की आम सभा में की जायगी। बनाये गये पैनल की मान्यता तीन वर्षों के लिए होगी। इस बीच यदि किसी कारणवश चयनित सेविका/सहायिका का पद रिक्त होता है तो इसी पैनल से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा चयन किया जाएगा। अनुमोदित पैनल में से सेविका/सहायिका का चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा करते हुए इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दी जायेगी।

8.15 सेविका/सहायिका चयन की घोषणा के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वार्ड की आम सभा की तिथि से आठवें दिन अथवा उसके पूर्व परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में चयन पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

8.16 चयन पत्र देने के पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संबंधित सेविका को आवश्यक प्रशिक्षण हेतु दो सप्ताह के अंदर भेजा जाएगा।

8.17 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड की आम सभा की बैठक की विडियो रेकार्डिंग करायी जाएगी तथा उसकी एक प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के लिए भी अपनायी जाएगी।

8.18 आँगनबाड़ी सेविकाओं को अपना कार्य ठीक से करने (विद्यालय पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, आँगनबाड़ी केन्द्र का लेखा संधारण आदि) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पढ़ने, लिखने, गणित आदि का ज्ञान हो। इसकी जाँच हेतु सभी सेविकाओं के लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। चयनित सेविकाओं को उक्त परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। चयनित सेविका को परीक्षा देने के 2 मौके दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित न होने को एक मौका मानते हुए परीक्षा में असफल होना माना जायेगा। परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न होने पर सेविका को चयनमुक्त कर दिया जायेगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

9. चयन की अवधि.–[1][9.1 सेविका और सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।]

9.2 प्रथम बार में सेविका/सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका 4 अथवा 6 में वर्णित सारी अहर्त्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका/सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। पूर्व से चयनित सेविका/सहायिका के लिए यह प्रक्रिया प्रति तीन वर्ष बाद अपनाई जायेगी।

10. चयन हेतु वार्ड की आम सभा से संबंधित शिकायत लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया.–10.1. सेविका/सहायिका के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। यदि जाँच के क्रम में यह पाया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जानबुझकर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी है अथवा लापरवाही बरती गई है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

[2][10.2 चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत करते हुए उन्हें सुनवाई हेतु मौका देंगे। समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए तीस (30) दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।

1. ज्ञापांक 423, दिनांक 3.2.12 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][10.3. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यदि चयन में अनियमितता पाते है तो उक्त चयन को रद्द करते हुए मेधा सूची के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का आदेश देगें।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध तीस (30) दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

[1][10.4 प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को सुनकर तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश से संबंधित अभिलेख का अवलोकन करते हुए पैंतालिस (45) दिनों के अन्दर मुखर आदेश पारित करेगें।

इस मामले में उनका आदेश अंतिम होगा और इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी।

10.5 सेविका/सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरते जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 30 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।

10.6 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 60 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।

[1][10.7 राज्य स्तरीय जाँच दल, महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला स्तरीय जाँच दल/युद्ध स्तरीय जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन के साथ सेविका/सहायिका की चयनमुक्ति की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगें। अपेक्षित सभी साक्ष्यों का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात् मुखर आदेश पारित करेंगे। यह आदेश प्राप्त अनुशंसा के तीस (30) दिनों के अंदर पारित करना होगा।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्वयं जाँच में पाई गई अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण पूछते हुए संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका देते हुए चयनमुक्ति का आदेश पारित करेंगे।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध असंतुष्ट पक्ष तीस (30) दिनों के अन्दर अपील उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।

---

1. ज्ञापांक 2354, दिनांक 17.5.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

10.8 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जिन सेविका/सहायिका को आँगनबाड़ी केन्द्र पर अनियमितता पाये जाने पर चयनमुक्त करेंगे, उसकी सूचना एवं रद्द किये गये केन्द्रों से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख यथा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के विरूद्ध समर्पित प्रतिवेदन जिसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की गयी, निर्गत आरोप पत्र, सेविका/सहायिका के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, सुनवाई के क्रम में लिये गये/देखे गये साक्ष्य एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश उसी तिथि को निदेशालय/विभाग को फैक्स या अन्य माध्यम से निश्चित रूप से भेजेंगे। विभाग एवं निदेशालय स्तर पर चयन मुक्त की गई सेविकाओं का 10 प्रतिशत रैन्डम जाँच/समीक्षा कर देखा जायेगा कि चयन मुक्त करने का आदेश सही है या नहीं। यदि पाया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा वाह्य जनित कारणों (Extraneous reasons) से प्रेरित है अथवा निहित स्वार्थ के लिये लिया गया है तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध निलम्बन और अन्य समुचित विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी।

10.9 चयन में गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के मामले में जाँचोपरान्त कृत कारवाई/लिये गये निर्णय (किसी भी स्तर से) से वार्ड की आम सभा को अवगत कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

[1][10.10 विभिन्न प्रकार के जाँचों के फलस्वरुप सेविका/सहायिकाओं पर केन्द्र संचालन में अनियमितता इत्यादि बरतने के आरोप में किए गये आदेशों/अपील आदेशों की समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा कर सकेगा तथा इन आदेशों को संशोधित भी कर सकेगा।

11. त्याग पत्र.–[2][11.1 संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर इसे स्वीकृत/अस्वीकृत माना जाये। यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वीकृत माना जायेगा।

11.2 त्याग पत्र देने वाली सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

12. इस मार्गदर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

1. ज्ञापांक 2897, दिनांक 10.6.2013 द्वारा अंतः स्थापित।
2. प्रतिस्थापित तत्रैव

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHEPURA COURT, MADHEPURA

Authorization No. 2017

भारत

STAMP DUTY
00000

INR Rs. 0000100

374150

बिहार
JUDICIAL

12.11.2014

BIHAR

9395 532 1891

WELFARE STAMP Rs.5 बिहार पांच रुपये RUPEES FIVE

NOTARY Manoj Kumar Regd No. A/7165J Madhepura GOVT. OF BIHAR

Annexure-2

समक्ष नोटरी पब्लिक, मधेपुरा

-26-

शपथ-पत्र

No. 2763 Date 15-11-14

मैं आरती देवी उम्र करीब 26 वर्ष पिता नक्षत्र पासवान पति अविनाश कुमार सा0 तरावे वार्ड नं0 03 पो0-कौड़िहार थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा धर्म से शपथ पूर्वक निम्न प्रकार से बयान करती हूँ :

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ ।

2. यह कि मेरे पति अविनाश कुमार अपने पिता चन्देश्वरी पासवान वो भी अपने भाई राजनारायण पासवान, विधानन्द पासवान एवं बरुण पासवान से मार्च 2003 ई0 में आपसी बँटवारा करके ईलहदा हो गये और मेरे पति और मेरे बच्चों का अलग परिवार कायम हुआ वो है तथा उक्त सबों का रहन-सहन चुल्हा चक्की पूजापाठ सब ईलहदा-ईलहदा हुआ वो है तथा किसी के कारोबार से किसी को कोई मतलब सरोकार नहीं है । इस प्रकार मैं वो मेरे पति करीब 10 वर्षों से इजमाल परिवार से बँटवारा कर अलग है ।

3. यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के समर्थन में मैं यह शपथ-पत्र निष्पादित करती हूँ।

मैं धर्म पूर्वक एकरार करती हू कि शपथ-पत्र की वर्णित सारी बातें मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है जिसे आज दिनांक को मधेपुरा न्यायालय परिसर में सही की ।

Identified Arati Devi
Who is identified by
Shashi Kumar
Advocate, Madhepura
Solemnly affirm and declare before me that the contents of this affidavit is correct.

शपथकर्त्ती आरती देवी

15-11-14
Manoj Kumar
NOTARY
Regd No-/165J
Distt-Madhepura

अधिवक्ता Shashi Kumar Adv.
15.11.2014